

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :- राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 68/2015

निर्णय दिनांक :- 11-11-2022

सुमित्रा देवी बनाम झुंजरमल वगै०

दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणात्मक दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री संदीप मान एड० व प्रतिवादीगण की ओर से श्री मदन सिंह राठौड़ एड० एवं श्री मूलचन्द शर्मा एड० की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.11.2022 को राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“ न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा न० 145 रकबा 4.93 है० स्थित ग्राम फतेहपुरा में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

पदेन उप जिला कलक्टर

सूरजगढ़